राजस्थान सरकार

गृह (ग्रुप–11) विभाग

क्रमांक प. 9(253)गृह–11/2005 जयपुर, दिनांकः 02.06.09

परिपत्र

पुलिस कर्मियों के अनुशासनहीन कृत्यों एवं स्वेच्छिक अनुपस्थिति के प्रकरणों में अनुशासनिक अधिकारियों द्वारा इन कृत्यों के आरोपी कर्मचारी को साधारण दण्ड से दण्डित किया जाता है जो कार्मिकों द्वारा किये गये अपकृत्यों की अपेक्षा प्रायः कम होता है जिससे पुलिस कर्मियों में दिन प्रतिदिन अनुशासनहीनता बढ़ रही है जिससे अच्छे कार्मिकों का मनोबल भी कम होता है । अतः पुलिस विभाग के समस्त अनुशासनिक अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि अनुशासनिक कार्यवाही करते समय आरोप पत्र में अपकृत्य का पूर्ण खुलासा किया जावे तथा किये गये अपकृत्य के अनुरूप ही आरोप पत्र 16 सीसीए अथवा 17 सीसीए में देने का निर्णय लिया जावे ।

दण्डादेश पारित करते समय अनुशासनिक अधिकारी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आरोपी कर्मचारी के अपकृत्य से राज्य सरकार को क्या हानि हुई है तथा प्रशासन की छवि धूमिल हुई है तथा स्वेच्छिक अनुपस्थिति के कारण कितने श्रम दिवसों पर अपव्यय हुआ है तथा राजकार्य बाधित हुआ।

अत्यधिक गंभीर प्रकरणों के लिए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम, 1958 में सेवा से पृथक किये जाने का भी प्रावधान है जिसे गुण अवगुण के आधार पर शास्ति बतौर पारित किया जा सकता है।

पुनः निर्देशित किया जाता है कि सभी अनुशासनिक अधिकारी आरोप पत्रों को निर्णीत करते समय राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम, 1958 में वर्णित प्रावधानों पर गंभीरता से मनन करें तथा गुण अवगुण के आधार पर उचित दण्डादेश पारित करें ।

इस परिपत्र की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जावे ।

(एस.एन.थानवी)
प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग

प्रतिलिपी निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित् हैः–

1–निजी सचिव गृहमंत्री राज,जयपूर
2–निजी सचिव,प्रमूख शासन सचिव,गृह विभाग राज0जयपूर
3–निजी सचिव,प्रमूख शासन सचिव,विधि विभाग,राज0
4–महानिदेशक पुलिस,राज0,जयपूर
5–महानिदेशक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज0जयपूर
6–महानिदेशक, कारागार विभाग, राज0 जयपुर
7–निदेशक, गृह अभियोजन विभाग, राज0 जयपुर
8–समस्त महानिरीक्षक पुलिस, रेन्ज
9–महानिरीक्षक पुलिस, दूरसचांर विभाग, राज0 जयपुर
10–समस्त जिला पुलिस अधीक्षक
10–समस्त कमाण्डेन्ट, आर.ए.सी बटालियन
11–निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोग शाला, राज0 जयपुर
13–रक्षित पत्रावली

(उर्मिला राजोरिया)
उप शासन सचिव (अपील)